तारीख

1

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी और तारीख सहित

3

.|8|2019

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल दण्डाधिकारी, राजमहल।
क्रि०मि० वाद सं०– 285/2019
प्रथम पक्ष– बाहा हेम्ब्रम
बनाम
द्वितीय पक्ष– मताल मरांडी वगै०
दं०प्र०सं० की धारा 144 के अधीन कार्यवाही

आदेश

आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन पत्र के अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि जमीन से संबंधित विवाद को लेकर पक्षों के बीच सार्वजनिक शांति भंग की संभावना है। जिससे संतुष्ट होकर वाद की कार्यवाही दं०प्र०सं० की धारा 144 के अधीन कार्यवाही प्ररम्भ की गयी।

विवादित भूमि का विवरण

मौजा	ज० न०	दाग नं०	रकवा	चौहद्दी			
				उ०	द०	पु०	प०
सॉवलापुर	49 पुराना एवं 32 नया	141	00–13–06	पांडु मरांडी	धाना हॉसदा		
		220	00–12–02	अनपा	पांडू मरांडी		
		229	03–11–09	पांडु मरांडी	धाना हॉसदा		
		258	01–13–18	पांडू मरांडी			
		263	00–14–09	पांडु मरांडी	चपाल		
		268	04–18–00	पांडु मरांडी	ताल		
		277	01–16–06	सोफल	पोखर		
		278	02–04–15	नाला	लोय		
		282	00–09–01	सोफल	जलाशय		
		285	09–07–11	नीज	धुन्ना मरांडी		
		294	01–07–17	धनाय मरांडी	हरेन		
		322	05–08–06	धोना	पांडू		
		323	00–06–19	नीज	कान्हा मरांडी		
		407	01–06–06	नदी	पांडू		
		541	01–19–06	पांडू मरांडी	कान्हु हॉसदा		
		551	00–18–03	पांडू मरांडी	सोनाय मरांडी		
		555	00–04–05	सोनाय	पन्थो हेम्ब्रम		

Scanned with CamScanner

				मरांडी			
		556	01–19–19	सोनाय मरांडी	पन्थो हेम्ब्रम		
		589	00–14–10	मांगोन हॉसदा	रहिम		
		600	00–12–14	मंगल हॉसदा	रहिम		
		617	00–03–00	रहिम	मोहन मरांडी		
		675	00–13–18	अन्नापा मरांडी	कान्हू मरांडी		
		676	00–04–17	अन्नापा मरांडी	कान्हू मरांडी		
		985	01–19–06	होपना हेम्ब्रम	मंगल		

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदिकागण वृद्ध महिला है एवं कानून को मानने वाली शांतिप्रिय महिलाएँ हैं। जबकि विपक्षीगण काफी मनबढ़ु, रंगदार एवं अपराधिक प्रवृति के व्यक्ति हैं। आवेदिकागण को पुस्तैनी जमीन मौजा सांवलापुर के जमाबंदी नं0– 49 पुराना एवं 32 नूतन में कुल रकवा 41 बीघा 14 कट्ठा 04 धूर जमीन प्राप्त है, जो पुराने खतियान में उनकी दादी मानको के नाम से दर्ज है एवं वर्तमान पर्चा में आवेदिकागण के नाम पर हैं आवेदिकागण अपने उक्त जमीन पर कृषि कार्य करते चली आ रही है, परन्तु अब विपक्षीगण नाजायज मजमा बनाकर दबंगई एवं रंगदारी करते हुए आवेदिकागण की जमीन को लूटकर जबरन जोत रहे हैं और नए–नए सड़यंत्र कर रहे हैं। आवेदिकागण के द्वारा पंचायती भी किया गया और थाना प्रभारी, तीनपहाड़ को लिखकर भी दिये फिर भी ये लोग आवेदिकागण के फसल व खेत को लूट कर बर्बाद करने का प्रयास किये। आवेदिकागण के द्वारा जब मना किया जाता है तो वे लोग आवेदिकागण पर जानलेवा प्रहार कर देते है एवं धमकी देते हैं। आवेदिकागण महिलाएँ है, उनके जान–माल का खतरा बना हुआ है। कभी भी विपक्षीगण आवेदिकागण को क्षति पहूँचा सकते है। आवेदिकागण के पास वर्णित जमीन से संबंधित सभी कागजात एवं अद्यतन लगान रसीद भी है। फिर भी विपक्षीगण जबरन इनलोगों की हत्या करने की धमकी दे रहे हैं। जिससे सार्वजनिक शांति भंग की संभावना द्वितीय पक्षों से बनी हुयी है। अतएव जारी निषेधाज्ञा प्रथम पक्ष के हित में रिक्त एवं द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सम्पुष्ट करने का प्रार्थना किया गया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल कारण पृच्छा में उल्लेख किये हैं कि मौजा सांवलापुर, जमाबंदी नं0– 49 गेंजर सेटेलमेंट पर्चा में मो0 रांघन मरांडी एवं मानगो मरांडी, दोख्तर मेघराय मरांडी के नाम से दर्ज है। रांघन मरांडी एवं मनको मरांडी की मृत्यू निःसंतान हो गयी तथा उक्त मौजा व जमाबंदी की भूमि विश्वनाथ मरांडी के शेष दो संतानों के पास खतियानी रैयत होने के नाते चला गया, जो आज भी द्वितीय पक्ष उक्त वर्णित जमीन पर शांतिपूर्ण दखलकार है तथा द्वितीय पक्ष सरकारी राजस्व का भी भुगतान कर रहे हैं तथा अनुसूची में दर्शाये गये भूमि पर फसल उत्पादन भी करते आ रहे हैं। प्रथम पक्ष का मौजा सांवलापुर के जमाबंदी नं0– 49 की भूमि पर कोई हक–हकूक व स्वत्व निहित नहीं है। प्रथम पक्ष शिक्षित होने का फायदा उठाकर नया पर्चा जो फाईनल पर्चा नहीं है पर अपना नाम चढ़ा कर उक्त मौजा की पुरी जमीन पर दं0प्र0सं0 की धारा 144 की कार्रवाई प्रारंभ करवायी है, जो विधि संगत नहीं है। द्वितीय पक्ष के सदस्यगण ने माननीय बन्दोबस्त पदाधिकारी, दुमका के समक्ष आपत्ति वाद सं0

Scanned with CamScanner

9077/17 दायर किया है, जिसमें माननीय न्यायालय से खतियानी रैयत राधन मरांडी व मनको मरांडी का नाम मौजा सांचलापुर के जमाबंदी नं0– 49 से विलोपित करते हुए द्वितीय पक्षों के सदस्यों का नाम जोड़ने की प्रार्थना किया गया है, जो वर्तमान में माननीय बन्दोबस्त पदाधिकारी, दुमका के न्यायालय में विचाराधीन है। प्रथम पक्ष के द्वारा दबंगई दिखाकर अपना नाम नोट फाईनल पर्चा में चढ़ाकर जमीन का दावा करती है, जो न्याय संगत नहीं है और ना ही प्रथम पक्ष अनुसूची वाली जमीन पर कभी शांतिपूर्ण भोग–दखल था और ना है। अतएव जारी निषेधाज्ञा द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त एवं प्रथम पक्ष के विरूद्ध सम्पुष्ट करने का प्रार्थना किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं उनके द्वारा दाखिल किये गये सूचीबद्ध कागजातों का अवलोकन किया। मौजा सांचलापुर के जमाबंदी नं0– 49 पुराना एवं 32 नूतन में कुल रकबा 41 बीघा 14 कट्ठा 04 धूर जमीन पुराने खतियान में बाहा हेम्ब्रम उर्फ मैदी हेम्ब्रम आवेदिका की दादी मानको उर्फ राधोन मरांडी, पति– माझो हेम्ब्रम के नाम से दर्ज है। इस संबंध में द्वितीय पक्ष के सदस्यगण ने माननीय बन्दोबस्त पदाधिकारी, दुमका के समक्ष आपत्ति वाद सं0 9077/17 दायर है, जो विचाराधीन है।

अतः तमाम स्थिति एवं परिस्थितियों पर सम्यक विचारोपरांत प्रस्तुत वाद स्वत्व एवं अधिकार से संबंधित है। इस विवाद का निपटारा संभव नहीं है। प्रथम पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय जा सकते हैं। इस निदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
राजमहल

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
राजमहल

Scanned with CamScanner